

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... गिरधराम सिंह बनाम मूलानंद कौर
किस्म मुकदमा नं. 111/120 RLR नं. 75/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>खेमराज जारवड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120 RLR</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>8/3/22</u> को पेश हो।</p>	
08/03/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल किस्म तामिल फाइल इलतजात होकर पत्रावली दिनांक 28/04/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बायतु</p>
28/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गणों के नोटिस तामिल मुद्दा प्राप्त जिसे तामिल पत्रावली विभा गण। विप्रार्थी गणों वापस तामिल के उपस्थित। मामालेय समुह तीन वार फावज लगाई गई कौन्सिल फावज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी गणों रकम 378 कोर से 8000 रु. विप्रार्थी गणों उपस्थित नहीं हुआ लिखता विप्रार्थी गणों के विरुद्ध एडवोकेट डा.पंकज ममल में लाई जाती है। फिल. कार्रवाई वदम पत्रावली दिनांक 23/05/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बायतु</p>

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

न्याया
क्रमांक : बाड / 2022 / 823
प्रार्थी

1. गिखरसिंह पुत्र अर्जुन
जाति जाट, निवासी माराल
पटवार मण्डल कोट
तहसील बायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

23/5/22

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO),
बायतु
जिला - बाडमेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/
प्रार्थी 823

बनाम

दिनांक : 30/5/22
विप्रार्थीगण

1. गिरधरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह वगैरा 05,
जाति जाट, निवासी मोराला,
पटवार मण्डल कोलू,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. मूलाराम पुत्र गजाराम वगैरा 30,
जाति जाट, निवासी मोराला,
पटवार मण्डल कोलू,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 75/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - मोराला, पटवार मण्डल - कोलू, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 610/457, 615/461, 616/461, 632/495, 641/504 रकबा 1.2863, 7.9282, 2.6131, 2.1034, 7.6289 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह वाशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 30/5/22

क्रमांक : वाद/2022/024-28

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गिरधरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह वगैरा 05
4. विप्रार्थी श्री मूलाराम पुत्र गजाराम वगैरा 30,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।


उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु